न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

निग0नं0 77 /

तारीख दायरा
22.12.2022

तारीख फैसला
4.7.23

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1 - गगनदीप आत्मज सुदर्शन कुमार दुग्गड निवासी कोटा जंक्शन कोटा जिला कोटा राज0
(प्रार्थी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0
2 - वृजमोहनी बाई पत्नी धन्नालाल जी जाति मीना निवासी करीर का खेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
3 - बाबूलाल आत्मज किशन चन्द जाति मीणा निवासी कालारेवा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
(प्रतिपक्षीगण)

1– प्रार्थी की ओर से– – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
2- प्रतिपक्षी क्रम 1 की ओर से – तहसीलदार दीगोद
3- प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 की ओर से – श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता कायम करवाने हेतु

प्रार्थी ने उपरोकत शीर्षक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में निम्न रूपेण पेश किया है

संक्षेप मे मामला इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम कालारेवा तहसील दीगोद जिला कोटा मे प्रार्थी के खाते में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 426 / 359 की 0.99 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2071 संलग्न है।

यह कि प्रार्थी की भूमि ग्राम कालारेवा के माल में स्थित है किन्तु प्रार्थी कालारेवा जाने वाले आम रास्त खसरा नमबर 190 से होकर ग्राम भौरा की सिवाय चक खसरा नम्बर 413 / 189 व खसरा नम्बर 355 कच्चे रास्ते से होकर प्रतिपक्षीनी नं0 2 व 3 के खसरा नम्बर 189, 269 व खसरा नम्वर 359 की भूमि में से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 426 / 359 की भूमि पर आता जाता रहा है। यानि उक्त खसरा नम्बर 413 / 189 , 189, 268, व 355, 359 की भूमि पर रास्ता बना हुआ है।

यह कि प्रार्थी अपने खेत खसरा नमबर 426 / 359 पर आने के लिये सिवाय चक खसरा नम्बर 413 / 189, 189, 355 व 359 की भूमि पर होकर चालू रास्ते का उपयोग उपयोग करता चला आ रहा है प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने खेत पर आता जाता है, हंकाई जुताई के साधन व अन्य काश्तकारी सामान लाता ले जाता रहा है ओर अपने खेत पर फसल आदि काश्त कर अपने व परिवार की जीवनयापन करता है उक्त रास्ता ही प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने का प्रचलित व चालू रास्ता रहा है तथा अन्य कोई रास्ता नही है।

ह0

यह कि प्रार्थी का अपने खेत पर पहुंचने का दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है यही रास्ता प्रार्थी के अपने खेत पर पहुचने का एक मात्र प्रचलित व चालू रास्ता है। जो राज[illegible] रिकार्ड मे अंकित नही है।

[illegible] ने दिनांक 15.12.2022 को उसकी मेड के सहारे होकर निकलने से मना किया इस पर प्रार्थी ने दिनांक 16.12.2022 को प्रतिपक्षी नं0 1 व उसके कर्मचारियों से उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज करने से इन्कार कर दिया।

यह कि उक्त खसरा नम्बर 413/189 की भूमि में लगभग 145 मीटर लम्बाई में व 30 फीट चौडाई में खसरा नम्बर 355 तक व खसरा नम्बर 359 में 40 मीटर लम्बाई में व 30 फीट चौडाई आम रोड से उत्तर से दक्षिण रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 426/359 की भूमि तक दिये जाने व कायम किये जाने व इस संबंध में प्रतिपक्षी नं0 1 को पैमाईश करा कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार साहब दीगोद को आदेश व निर्देश दिया जाना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी डीएलसी रेट से भूमि की कीमत अदा करने को तत्पर है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 426/359 की 0.99 हेक्टर भूमि पर पहुंचने के लिये आम रोड काला रेवा से सिवाय चक खसरा नम्बर 413/189 व खसरा नम्बर 355 व 359 में होते हुये उत्तर से दक्षिण 30 फीट चौडा प्रचलित रास्ते को रास्ते के रूप में कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में करने हेतु प्रतिपक्षीगण को आदेश प्रदान किया जावे।

पार्थी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1-- नकल जमाबन्दी ग्राम काला रेवा खाता सं0 21 ,सम्वत 2076--2079
2- नकल जमाबन्दी ग्राम काला रेवा खाता सं0 17, सम्वत 2076--2079
3- नक्शा ट्रेस ग्राम भौरा सन् 1985-86
4 - नकल जमाबंदी ग्राम काला रेवा खाता संख्या 1 सम्वत 2076--2079
5-- नकल जमाबन्दी ग्राम कालारेवा खाता संख्या 77 सम्वत 2076--2079

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिपक्षी क्रम 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया है प्रतिपक्षी नं0 2 की भूमि मे 30 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने व दिये जाने में आपत्ति नही की है। प्रतिपक्षी नं0 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षी क्रम 1 तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 426/359 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम गगनदीप पुत्र सुदर्शन कुमार दुग्गल जाति खत्री साकिन कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है, प्रस्तावित खसरा से खसरा नम्बर 359 खातेदार बृजमोहनी पत्नी धन्नालाल जाति मीणा के खेत के पश्चिमी दिशा की मेड से लम्बाई 40 मीटर चौडाई 4 मीटर से, ख0नं0 355 किस्म गै0मु0रास्ता होकर खसरा नम्बर 413/189 रकबा 0.80 हेक्टर किस्म बंजड से ल0 143 मीटर चौडाई 4 मीटर से होते हुए खसरा नमबर 190 किस्म गै0मु0 रास्ते पर पहुच रहा है। उक्त रास्ता वर्तमान मे खेत का चालू व प्रचलित रास्ता है। वर्तमान में प्रस्तावित खसरा नम्बर

ई.[illegible]

[illegible] रास्ता है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता [illegible] जाने का [illegible] नजदीकी रास्ता [illegible] खसरा नम्बर 354 किस्म गै0मु0 नहर [illegible] बंद [illegible] खसरा नम्बर 355 पर बना रास्ता [illegible] आवागमन करता है।

[illegible] प्रार्थी खसरा नम्बर 413 / 189 से ही आवागमन करता है। [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी [illegible] किया गया। प्रार्थी एवं [illegible] प्रार्थना पत्र के कथनों को ही दोहराया [illegible] प्रतिपक्षी [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को ही दोहराया [illegible] हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करने [illegible] अधिवक्ता ने प्रार्थी [illegible] आवागमन हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करने [illegible] दिये जाने में अपनी सहमति [illegible] है। पत्रावली में संलग्न [illegible] रिकार्ड [illegible] दस्तावेजात का गहन अध्ययन अवलोकन किया तथा तहसीलदार [illegible] की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अध्ययन अवलोकन किया तथा तहसीलदार [illegible] की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोट का अवलोकन किया गया. बाद अवलोकन [illegible] यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान में रास्ता नही, किन्तु प्रार्थी को [illegible] के लिए रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी पक्ष गगनदीप आत्मज सुदर्शन कुमार का प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 426 / 359 की 0.99 हेक्टर भूमि पर पहुचने के लिये आम रोड कालारेवा से सिवाय चक खसरा नम्बर 413 / 189 व खसरा नम्बर 355 व 359 में होते हुए उत्तर से दक्षिण 30 फीट चौड़ा प्रचलित रास्ते के रूप में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रदान किये गये रास्ते की चौडाई 30 फीट होगी. सिवायचक खसरा नम्बर 413 / 189 की लम्बाई व [illegible] की डी0एल0सी0 दर से दो गुनी राशि राजकोष में जमा [illegible] खसरा नम्बर 355 व 359 के खातेदारान बृजमोहनी बाई व बाबूलाल मीणा ने [illegible] में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से रास्ते हेतु भूमि [illegible] प्रतिफल राशि के देने का प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल किया गया है। [illegible] शपथ पत्र [illegible] में खातेदारान से नियमानुसार समर्पण की कार्यवाही अमल में [illegible] पश्चात ही राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद [illegible] सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 4.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

नोट :- प्रार्थी का आवेदन पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाता है एवं संशोधित निर्णय पारित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रदान किये गये रास्ते हेतु ख.नं. 426/359 की 0.99 हैक्टेयर भूमि पर पंहुचने के लिये आम रोड काला रेवा से सिवायचक ख.नं. 413/189 व ख.नं. 189 व ख.नं. 228 से होते हुए ख.नं. 355 व 359 से होते हुए प्रचलित रास्ते के रूप में कायम किये जावे पढ़ा जावे।

[signature]
03/10/23
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)